



प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में वेतन भत्तों एवं अन्य वचनबद्ध व्ययों की मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11/उ०प्र०सं०नि०-2(96)/26-27 दिनांक 10 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों के वेतन भत्ते एवं अन्य वचनबद्ध व्ययों की पूर्ति हेतु अनुदान संख्या-92 के राजस्व लेखे के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि **रु० 33,53,30,000.00 (रुपये तैंतीस करोड़ तिरैपन लाख तीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन प्रदान करते हुए उक्त कुल धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत धनराशि का आहरण वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत नियमों के अनुसार राजकोष से किया जाएगा। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/ पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
- (5) धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति / अनियमितता न हो। किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति/ अनियमितता हेतु निदेशालय उत्तरदायी होगा।
- (6) उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इन धनराशियों का आवंटन मात्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहां कहीं आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

- (8) निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के आलोक में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता/ ऑडिट आपत्ति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशालय/ संबंधित इकाई का होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षक: 2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	01 वेतन	14,00,00,000 (रुपये चौदह करोड़ मात्र)
2	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	02 मजदूरी	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	03 मंहगाई भत्ता	9,10,00,000 (रुपये नौ करोड़ दस लाख मात्र)
4	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	04 यात्रा व्यय	5,70,000 (रुपये पाँच लाख सत्तर हजार मात्र)
5	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
6	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	06 अन्य भत्ते	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
7	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	07 मानदेय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	08 कार्यालय व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
9	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	09 विद्युत देय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
10	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	10 जलकर / जल प्रभार	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
11	092	2205001070300	11	6,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		अधिष्ठान व्यय	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	(रुपये छह लाख मात्र)
12	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
13	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	13 टेलीफोन पर व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
14	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
15	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
16	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
17	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	18 प्रकाशन	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
18	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	29 अनुरक्षण	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
19	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	42 अन्य व्यय	4,10,00,000 (रुपये चार करोड़ दस लाख मात्र)
20	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
21	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
22	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
23	092	2205001070300	47	7,00,000

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		अधिष्ठान व्यय	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	(रुपये सात लाख मात्र)
24	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	49 चिकित्सा व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
25	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	51 वर्दी व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
26	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	55 मकान किराया भत्ता	65,00,000 (रुपये पैंसठ लाख मात्र)
27	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,75,00,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
	कुल			33,53,30,000 (रुपये तैंतीस करोड़ तिरेपन लाख तीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 153 /2026/ 1125 (1) /चार-2026-1806988 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।